

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 12(2) शिक्षा-2 / टंकण परीक्षा / 2018

जयपुर, दिनांक : 14-10-19

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

6-9-19
12-10-19

विषय : श्री माधोसिंह, कनिष्ठ सहायक, राउमावि, दुर्गावास जवाना, अजमेर को टंकण परीक्षा की छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक शिविरा/माध्य/साप्र/ए-2/टंकण परीक्षा/बो-11/2018/334 दिनांक 23.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि श्री माधोसिंह के दिव्यांग सम्बन्धी संलग्न चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें नियमानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की शर्त में छूट प्रदान की जाती हैं।

उक्त छूट कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी. संख्या 429/कार्मिक/ए-2 दिनांक 25.09.2019 से प्राप्त कर प्रदान की जा रही हैं।

भवदीय




(राजेश वर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2/टंकण परीक्षा/मॉक टेस्ट/शिथिलन/2018/422 दिनांक - 22/10/19

- सूचिका :- निम्नांकित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु :-
01. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
 02. संयुक्त निदेशक संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल चूरु/बीकानेर
 03. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना सहायक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय नागौर/बीकानेर
 04. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, नागौर/बीकानेर
 05. कम्प्युटर अनुभाग को उक्त सूचना वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
 06. संबंधित शत्रुपत्नी।


उप निदेशक, राजस्थान,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।